

सं० सं० 14/एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,
निदेशक,
मैक्स सुपर स्पेशलीटी, अस्पताल,
1 प्रेस इंकलेभ रोड
साकेत, नई दिल्ली- 110017

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 12.9.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बबन सिंह पिता-स्व० गया सिंह ग्राम-हरिहरगंज पो०-थाना-नासरीगंज जिला-रोहतास	हृदय रोग	2,60,000	दो लाख साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 2,60,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 2,60,000/- (दो लाख साठ हजार) रूपया का क्रास चेक सं०...050603... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरांत चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1744 (14)

प्रतिलिपि लेखापोल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक

19.9.18

19/9/18
निदेशक प्रमुख
21.9.18

सं० सं० 14/एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
धर्मशीला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल
धर्मशीला मार्ग, वसुन्धरा इंकलेब
दिल्ली-110096

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 12.9.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	भीम राय पिता-मुशहरू राय ग्राम-पो०-कलारामपुर थाना-नया राम नगर जिला-मुंगेर	कैंसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			कुल रु० 1,20,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) का क्रास चेक सं०... 150604 मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 19-9-18

ज्ञापांक 1745 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों/आई टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/9/18
निदेशक प्रमुख
21.9.18

सं० सं० 14/एम 11- 2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
डा० बी०एल० कपूर मेमोरियल हॉस्पिटल,
पुसा रोड, नई दिल्ली 110005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 12.9.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विवेका नन्द कुमार पिता-प्रदीप प्रसाद ग्राम-शहनवाजपुर पो०+थाना-तरैया जिला सारण	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			कुल रू० 3,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) का क्रास चेक सं०..... 950605..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1751(14)

पटना, दिनांक

19.9.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9/18
निदेशक प्रमुख
21.9.18

सं० सं० 14 / एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 12.9.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जितेश कुमार पिता-बाल्मीकी राय ग्राम-नकटा दियारा पो०+थाना-दीघा जिला पटना सीभीन०-8343/18	हृदय रोग	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।
			₹ 90,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 90,000/- (नब्बे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 050596 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584269, खाता धारक का नाम-"AIIMS ANGIOGRAPHY PATIENT'S ACCOUNT" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 050596 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ज्ञापांक

1746(14)

पटना, दिनांक

हO /-
निदेशक प्रमुख
19.9.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों /आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
01.11.18

सं० सं० 14/एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एंड रिसर्च, चंडीगढ़- 160015

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 12.9.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विजेन्द्र यादव पिता-रामाश्रय यादव ग्राम-हरिदासपुर टोला बछेड़ीया, पो०-गाजनपुर थाना-परैया जिला-गया सीआरनं०-201706340735	गुर्दा प्रत्यारोपण	2,75,000	दो लाख पचहतर हजार स्वीकृत।
2	सुनील कुमार पिता-स्व० नारायण प्रसाद ग्राम-पो०-झींगहा थाना-मोतीपुर जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं०-201803793692	हिप रिप्लेसमेंट	1,70,000	एक लाख सतर हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,45,000	

- उक्त अनुदानों की कुल राशि ₹ 4,45,000/- (चार लाख पैतालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 050589.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10413583830 खाता धारक का नाम-"डायरेक्टर, पी०जी०आई० प्राइवेट ग्रान्ट ए०/सी०" खाते का प्रकार- चालु बैंक का नाम- एस० बी० आई०, शाखा का नाम- मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड सं० 01524 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

- 4 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.....050589.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख,

ज्ञापांक

1750(14)

पटना, दिनांक

19.9.18

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
21.9.18

पत्रांक 14 /एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज

आई०डी०ए०, स्कुडर रोड

पी० बी० नं०-3,भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 12.9.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० हेयात पिता-अब्दुल बारीक ग्राम-पो०+थाना-नवादा जिला-भोजपुर सीएमसीन०-227026 एच	हृदय रोग	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत।
2	मोना देवी पति-बाबु चन्द्र शर्मा ग्राम-कन्हील पो०-सिलौंजा थाना-बेलागंज जिला-गया सीएमसीन०-301455 एच०	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 3,60,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 050586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10404158238, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस०बी०आई०, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

- 4 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...050586...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1749(14)

पटना, दिनांक 19-9-18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/9/18
निदेशक प्रमुख
(सि. (सि.))

सं० सं० 14/एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 12.9.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	छोटक कुमार पिता-श्याम बहादुर साह ग्राम-जगमलवा पो०+थाना-थावे जिला-गोपालगंज सीआरन०-2017013888	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
2	राम किशोर राय पिता-सोहन राय ग्राम-पो०-अशोक नगर थाना-जलालपुर जिला-सारण छपरा सीआरन०-2018672425	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
3	वकील राम पिता-राम नाथ यादव ग्राम-जानकी नगर पो०+थाना-बसंतपुर जिला-सीवान सीआरन०-2018601372	हृदय रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	विनोद कुमार सिंह पिता-दुखी सिंह ग्राम-पो०-धनेज थाना-करगहर जिला रोहतास सीआरन०-2012247474	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।

5	अंकित कुमार पिता-दिनेश कुमार यादव ग्राम-सिपार पो0-सिंघौली थाना-बसंतपुर जिला-सीवान सीआरनं0-2009344510	कैंसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
6	आयुष्मान कुमार पिता-सुमन कुमार ग्राम-पथलाफर पो0-कारे थाना+जिला-शेखपुरा सीआरनं0-2018476475	मसकुलर डिस्ट्राफी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
7	कृष्णा पंडित पिता-इन्द्रासन पंडित ग्राम-बतरडेह पो0-थाना-बरौली जिला-गोपालगंज सीआरनं0-2018654784	प्लास्टिक सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	विशाल कुमार पिता-स्व0 शिवनाथ साह ग्राम-पकहा पो0+थाना-मढौरा जिला-सारण सीआरनं0-2018192828	आंत रोग सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
9	नारद प्रसाद पिता-जय नारायण प्रसाद ग्राम+पो0-मरजदवा थाना-पुरुषोतमपुर जिला-प0 चम्पारण सीआरनं0-2011415721	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
10	रिया सिंह पिता-मुकेश सिंह ग्राम-पो0-भीत भेरवा थाना-जिला-गोपालगंज सीआरनं0-2017287726	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
11	राहुल कुमार सिंह पिता-सुशील सिंह ग्राम-खलसापुर पो0+थाना-दिनारा जिला-रोहतास सीआरनं0-2018090922	हृदय रोग	2,80,000	दो लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
12	प्रिया कुमारी पिता-दिनेश कुमार बिन्द ग्राम-खगौर पो0-किउल थाना+जिला-लखीसराय सीआरनं0-2018659152	कैंसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

13	घुघुली मियां पिता-अली हसन मियां ग्राम-मुडा पो0-अधैला थाना-धनोती जिला-सीवान सीआरनं0-2018384402	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	विजय कुमार दुबे पिता-वशिष्ठ दुबे ग्राम-दिवान परसा पो0-भागवत परसा थाना-फुलवरीया जिला-गोपालगंज सीआरनं0-2018437474	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
15	रंभा कुमारी पिता-गोपाल यादव ग्राम-बाडी खजुरी पो0-खजुरी थाना कुचाय कोट जिला-गोपालगंज सीआरनं0-2018243800	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 29,20,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 29,20,000/- (उनतीस लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 050581 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- आदेश की प्रति में यदि कहीं कोई आंशिक त्रुटि/भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों से मिलान कर रोगी का इलाज प्रारंभ किया जाय। रोगी को इसके लिए अनावश्यक परेशान नही किया जाय।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
६६/
(डा० आर० डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....057587.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ज्ञापांक 1752(14)

पटना, दिनांक

निदेशक प्रमुख

19-9-18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
21.9.18

सं० सं० 14/.एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 12.9.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुभद्रा पटेल पति-सतीश चन्द्र पटेल ग्राम+पो0-संझा घाट थाना-मीरगंज जिला-पूर्णिमा केसफाइलनं0-सीआर/07150	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	शांति मिश्रा पति-जय कृष्ण बल्लभ मिश्रा ग्राम-गोकुल कृष्णा आश्रम रोड, पूर्णिमा, पो0+जिला-पूर्णिमा थाना-के0 हाट केसफाइलनं0-सीआर/27786	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,00,000/-.	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 050583..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1002449683, खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी०एम०एच०, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज / उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/
(डा० आर० डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...050583...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1243(14)

पटना, दिनांक

19.9.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / संबंधित मरीज / आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/18
निदेशक प्रमुख
(19.9.18)

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक/निदेशक
सदर अस्पताल,
जेल रोड बक्सर,
बिहार-802101

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 12.9.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राकेश तिवारी पिता-हृदय नारायण तिवारी ग्राम-राजडीहा पो०-कसीया थाना-डुमराव जिला-बक्सर	किडनी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 50,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) का क्रास चेक सं०..... 050581.....
.....मूल रूप में संलग्न है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 19.9.18

ज्ञापांक 1741(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/ आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
21.9.18

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
नालन्दा मेडिकल कालेज, अस्पताल
अगमकुंआ, पटना- 800018

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 12.9.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सीमा वर्मा पति-स्व० प्रकाश कुमार ग्राम-राइपट्टी पो०-थाना-दिघवारा जिला-सारण	किडनी रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹० 50,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 50,000/- (पचास हजार) का क्रास चेक सं०..... सिलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- जिस-जिस दिन रोगी का डायलेसिस होना हो अधीक्षक, तत्काल आवश्यक राशि B.Braun Dialysis Centre को उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए वो पहले से उनसे विमर्श कर लेंगे।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन


ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1742(14)

पटना, दिनांक 19.9.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
21.9.18

सं० सं० 14 / एम 11-2 / 18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 12.9.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	संजु देवी पति-स्व० सदानन्द सिंह ग्राम-कतवारा पो०-महीसोता थाना-शंभुगंज जिला-बांका सी०भी०-4804 / 18	हृदय रोग	1,90,000	एक लाख नब्बे हजार स्वीकृत।
2	सरिता देवी पति-दया शंकर मिश्र ग्राम-भुआल खुटवनीया पो०-उचका गांव थाना-कुचाय कोट जिला-गोपालगंज सी०भी०-19547 / 18	हृदय रोग	1,40,000	एक लाख चालीस हजार स्वीकृत।
3	मो० शमीम पिता-मो० रसूल ग्राम-खोदा नगर पो०-मोतिहारी थाना-छतौनी जिला-पूर्वी चम्पारण सी०भी०-17300 / 18	हृदय रोग	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,20,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,20,000 /- (चार लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 050590 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584258, खाता धारक का नाम-AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतस्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.....050590.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/--


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1747(14)

पटना, दिनांक 19.9.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
(19.9.18)

सं० सं० 14/एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

सर सुन्दर लाल अस्पताल,

इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस

वाराणसी - 221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 12.9.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	छठी देवी पति-फुलवास राम ग्राम-पो०-बागर थाना-सिकराहता जिला-भोजपुर एमआरडीन०-2178125	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	आवेश पटेल पिता-रुद्र देव पटेल ग्राम-महेसुआ पो०-करारान, थाना-भभुआ जिला भुभुआ कैमुर एमआरडीन०-2006129	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
3	सबीता देवी पति-स्व० सूर्यवंश सिंह ग्राम-पो०-अभियावर थाना-नारासीगंज जिला रोहतास एमआरडीन०-2292368	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	सोना लाल राय पिता-जगरनाथ राय ग्राम+पो०-हराज नुरुल्लाहपुर थाना-शिकारगंज जिला-पूर्वी चम्पारण एमआरडीन०-1947627	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
5	अमरजीत कुमार पिता-मराछु चौधरी ग्राम-सरैया पो०-कर्मनासा, थाना-दुर्गावती जिला-भभुआ, कैमुर ओ०पीडीसं०-2018/5421	ब्रेन सर्जरी	2,00,000	दो लाख स्वीकृत।

6	प्रेमा देवी पति-कृष्णा मुरारी दुबे ग्राम-बभनौली पो0-कसीला थाना असांव जिला-सीवान ओपीडीनं0-2482/16	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	राम दुलारी देवी पति-नन्द लाल ठाकुर ग्राम-अकौना पो0-मिसरौलीया थाना-चिरैया जिला-पूर्वी चम्पारण एमआरडीनं0-1920634	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	रोहित कुमार पिता-युगेश शर्मा ग्राम-पो0+थाना-चांद जिला-भभुआ, कैमुर ओपीडीनं0-1245/18	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	अजय कुमार चौधरी पिता-लोक नाथ चौधरी ग्राम-बेलहरी, पो0-बमहौर थाना-मोहनिया जिला-भभुआ कैमुर एमआरडीनं0-2314412	हृदय रोग	1,90,000	एक लाख नब्बे हजार स्वीकृत।
10	सीता राम पाण्डेय पिता-स्व0 लक्ष्मण पाण्डेय ग्राम-भरनदुआ पो0-थाना-चेनारी जिला रोहतास एमआरडीनं0-2305598	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 13,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,00,000/— (तेरह लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 050585 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1065 4904 247(स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), खाता धारक का नाम- कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- आदेश की प्रति में यदि कहीं कोई आंशिक त्रुटि/भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों से मिलान कर रोगी का इलाज प्रारंभ किया जाय। रोगी को इसके लिए अनावश्यक परेशान नहीं किया जाय।

5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...057585...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

₹0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1748(14)

पटना दिनांक

19.9.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
21.9.18